राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 1679/2019

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अशोक सर्किल, अलवर डिवीजनल मैनेजर के माध्यम से, (बीमाकर्ता कंपनी, वाहन टेम्पो नंबर आरजे-74-ए-3768 ने 25.08.2014 से 24.08.2015 तक बीमा किया है) जिसका टीपी-हब ऑफिसर-93, सफिरे बिल्डिंग, ईएसआई डिस्पेंसरी नंबर 4, अजमेर रोड, जयपुर के सामने अपने गठित अटॉर्नी के माध्यम से है।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती सोनिया पत्नी स्वर्गीय विनीत मोयल, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी मकान नंबर 1056 हुडा सेक्टर-1, तहसील नारनोल, जिला महेंद्रगढ़ (हरियाणा), वर्तमान में मुल्तान नगर, देहली रोड, अलवर (राजस्थान)।

2. कुमारी अनवी पुत्री स्वर्गीय विनीत मोयल, उम्र लगभग 1 वर्ष, निवासी मकान नंबर 1056 हुडा सेक्टर-1, तहसील नारनोल, जिला महेंद्रगढ़ (हरियाणा), वर्तमान में प्राकृतिक संरक्षक मां सोनिया के माध्यम से मुल्तान नगर, देहली रोड, अलवर (राजस्थान) माइनर।

3. संतलाल पुत्र मूलाराम मोयल, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी मकान नंबर 1056 हुडा सेक्टर-1, तहसील नारनोल, जिला महेंद्रगढ़ (हरियाणा)। वर्तमान में मुल्तान नगर, देहली रोड, अलवर (राजस्थान)।

4. मुक्स्तकीम पुत्र बस्सीर, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम मोहम्मदपुर अहीर, पीएस तावड़ू, जिला नूंह मेवात (हरियाणा) चालक वाहन टेम्पो नंबर एचआर-74 ए-3768।

5. असरफ पुत्र फजरुद्दीन, निवासी गांव दाई, पीएस नूंह मेवात, जिला नूंह मेवात (हरियाणा)। चालक वाहन टेम्पो नंबर एचआर -74 ए-3768।

----प्रत्यर्थीगण

<u>से संबद्ध</u>

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 3496/2019

1. श्रीमती सोनिया पत्नी स्वर्गीय विनीत मोयल, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी मकान नंबर 1056, हुडा सेक्टर-1, तहसील नारनौल, जिला महेंद्र गढ़ (हरियाणा) प्रीसेट रेजिडेंट ऑफ मुल्तान नगर, दिल्ली रोड, अलवर (राजस्थान)।

2. कुमारी अनवी पुत्री स्वर्गीय विनीत मोयल (नाबालिग), आयु लगभग 5 वर्ष, अपने प्राकृतिक अभिभावक और माता श्रीमती सोनिया पत्नी श्री विनीत मोयल, निवासी मकान नंबर 1056, हुडा सेक्टर-1, तहसील नारनौल, जिला महेंद्र गढ़ (हरियाणा) के माध्यम से प्रीसेट निवासी मुल्तान नगर, दिल्ली रोड, अलवर (राजस्थान) में।

3. संतलाल पुत्र मूलाराम मोयल, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी मकान नंबर 1056, हुडा सेक्टर-1, तहसील नारनौल, जिला महेंद्र गढ़ (हरियाणा) पूर्व निवासी मुल्तान नगर, दिल्ली रोड, अलवर (राजस्थान)।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. मुस्तकिम पुत्र बस्सीर, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम मोहम्मदपुर अहीर, थाना तावडू, जिला नूह, मेवात (हरियाणा)(चालक)।

2. अशरफ पुत्र फजरुद्दीन, निवासी गांव दाई, थाना नूह, मेवात, जिला नूह, मेवात (हरियाणा)(चालक)।

3. जोनल मैनेजर के माध्यम से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अशोक सर्कल, अलवर। (बीमा कंपनी)

----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से : श्री त्रिपुरारी शर्मा, वीसी के माध्यम से।

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री राम शरण शर्मा, वीसी के माध्यम से।

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति सुदेश बंसल

निर्णय

07/01/2022

<u>रिपोर्टेबल</u>

दोनों अपीलें, एक बीमा कंपनी संख्या 1679/2019 द्वारा, और दूसरी दावेदार संख्या 3496/2019 द्वारा, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण अलवर (इसके बाद 'ट्रिब्यूनल') द्वारा पारित 1-3-2019 के निर्णय के विरूद्ध दायर की गई हैं, इसलिए, इस सामान्य निर्णय द्वारा तय किया जा रहा है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद 1988 का अधिनियम) की धारा 166 के तहत दावा याचिका दायर करने पर ट्रिब्यूनल ने दावेदारों के पक्ष में ब्याज के साथ 47,99,536 रुपये का मुआवजा दिया और बीमा कंपनी को दायित्व से मुक्त करते हुए, "भुगतान और वसूली" के सिद्धांत का पालन करते हुए यह निर्देश दिया गया कि बीमा कंपनी पहले दावेदारों को मुआवजे का भुगतान करेगी और फिर वाहन के मालिक और चालक से इसकी वसूली कर सकती है। दावा याचिका 3-7-2015 को हुई एक दुर्घटना के संबंध में दायर की गई थी जब पंजीकरण संख्या एचआर-74 ए-3768 वाला वाहन पलट गया था और उस दुर्घटना में श्री विनीत मोयल की मृत्यु हो गई थी। वाहन प्रत्यर्थी अशरफ के स्वामित्व में था और प्रत्यर्थी मुस्तकिम द्वारा चलाया जा रहा था। वाहन का यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ बीमा किया गया था। ट्रिब्यूनल ने इस तथ्य को दर्ज किया है कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है क्योंकि चालक के पास वैध और प्रभावी लाइसेंस नहीं था और दुर्घटना की तारीख पर वाहन के पास रूट परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं था; इसलिए, बीमा कंपनी को बीमित व्यक्ति (वाहन के मालिक) को क्षतिपूर्ति करने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया था, हालांकि, "भुगतान और वसूली" के सिद्धांत के तहत बीमा कंपनी को दावेदारों को मुआवजे का भुगतान करने और फिर वाहन के मालिक और चालक से इसकी वसूली करने के लिए निर्देशित किया गया था।

3. बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील (1679/2019) में, यह तर्क दिया गया है कि जब ट्रिब्यूनल ने खुद माना है कि बीमा पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है तो बीमा कंपनी के विरूद्ध दावा याचिका को पूरी तरह से अपास्त कर दिया जाना चाहिए था और ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को दावेदारों को मुआवजे की राशि का भुगतान करने और फिर वाहन के मालिक से वसूली करने का निर्देश देने में कानून की त्रुटि की थी। बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने तीन बिंदु उठाए हैं (i) दुर्घटना की तारीख पर वाहन के चालक के पास वैध और प्रभावी लाइसेंस

नहीं था, (ii) संबंधित वाहन के पास दुर्घटना की तारीख पर रूट परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं था, और (iii) ट्रिब्यूनल ने उच्च पक्ष पर मुआवजे की मात्रा का आकलन किया है और प्रार्थना की है कि लागू निर्णय को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए।

4. मुआवजे में वृद्धि के लिए दावेदारों द्वारा अपील (3496/2019) को प्राथमिकता दी गई है। दावेदारों के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि ट्रिब्यूनल ने "भुगतान और वसूली" के सिद्धांत को लागू करने में कोई अवैधता या क्षेत्राधिकार त्रुटि नहीं की है। चूंकि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन वाहन का बीमा कंपनी के साथ बीमा किया गया था, इसलिए, भले ही बीमा पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो 1988 के अधिनियम के लाभकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ट्रिब्यूनल उचित है और बीमाकर्ता को निर्णय को संतुष्ट करने का निर्देश देने में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर है, हालांकि कानून में इसका कोई दायित्व नहीं है। वाहन के मालिक और चालक से पंचाट की राशि वसूलने के बीमाकर्ता के अधिकार को भी संरक्षित किया गया है। जहां तक क्षतिपूत की मात्रा का संबंध है, यह अपेक्षाकृत कम है और इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, लेकिन किसी भी मामले में, बीमा कंपनी मुआवजे की मात्रा को चुनौती नहीं दे सकती है क्योंकि यह अधिनियम, 1988 की धारा 149 (2) के तहत बीमा कंपनी को उपलब्ध बचाव से परे है। अंत में, दावेदारों के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यदि बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील अपास्त कर दी जाती है, तो दावेदार अपनी अपील पर जोर नहीं देंगे।

5. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध कराई गई सामग्री का अवलोकन किया।

6. यह न्यायालय सबसे पहले बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील की जांच कर रही है। बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मुद्दा संख्या 3 पर निर्णय करते समय, ट्रिब्यूनल ने इस तथ्य का एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि दुर्घटना की तारीख अर्थात 3-7-2015 को चालक के पास वैध और प्रभावी लाइसेंस नहीं था। रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि चालक मुस्तकीम डीएल-41299/पीके/प्रो/09 वाला वाहन चला रहा था, जिसे 20-11-2009 को जारी किया गया था और यह 10-8-2011 से 19-11-2015 तक की अवधि के लिए वैध था। ट्रिब्यूनल ने प्रदर्श एनए-4 और प्रदर्श एनए-5 की रिपोर्टों पर भरोसा किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उपरोक्त ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन

आयुक्त के दिनांक 28-12-2017 के नोट के अनुसार किसी भी विधिक उद्देश्यों के लिए मान्य नहीं है, जो 1-8-2014 के अपने पहले के नोट के अनुसार जारी किया गया था और इन आदेशों के अनुसार स्मार्ट कार्ड के अलावा सभी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर, ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना की तारीख पर ड्राइवर के पास वैध और प्रभावी लाइसेंस नहीं था। रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि ड्राइविंग लाइसेंस चालक को जारी किया गया था और 10-8-2011 से 19-11-2015 तक की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था, फिर भी, इसे बाद में परिवहन आयुक्त द्वारा 1-8-2014 से रद्द कर दिया गया है, जिसके लिए 18-12-2017 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था। इस प्रकार दुर्घटना की तारीख अर्थात 3-7-2015 को, ड्राइविंग लाइसेंस को प्रभावी और संचालन में नहीं माना गया था। दावेदारों के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ट्रिब्यूनल का ऐसा निष्कर्ष विकृत है और चालक का लाइसेंस दुर्घटना की तारीख पर वैध था।

7. जैसा भी हो, यह विवाद में नहीं है कि दुर्घटना की तारीख अर्थात 3-7-2015 को, वाहन का बीमा किया गया था और बीमा पॉलिसी 25-8-2014 से 24-8-2015 तक परिचालन में थी और तीसरे पक्ष के जोखिम को कवर करती है। इस तरह की तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर, दावेदारों के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि भले ही यह मान लिया जाए कि चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, लेकिन रद्दीकरण आदेश कभी भी मालिक के संज्ञान में नहीं लाया गया था और यह सिद्ध नहीं होता है कि मालिक वाहन के उपयोग के संबंध में बीमा पॉलिसी की शर्तों को पूरा करने के मामले में उचित अभ्यास और उचित देखभाल का पालन करने में लापरवाही का दोषी था। दावेदारों के अधिवक्ता ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम स्वर्ण सिंह [(2004)3 एससीसी 297] में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों पर भरोसा किया है। दावेदारों के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि स्वर्ण सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांत को लागू करते हुए, तीसरे पक्ष के जोखिम के मामले में, बीमाकर्ता को तीसरे पक्ष को देय मुआवजे की राशि की क्षतिपूर्ति करनी होगी और बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति से इसकी वसूली कर सकती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि स्वर्ण सिंह के मामले (सुप्रा.) में उच्चतम न्यायालय द्वारा "भुगतान और वसूली" के सिद्धांत पर विचार किया गया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ड्राइवर की अयोग्यता या ड्राइवर के

अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस के कारण पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के मामले में बीमा कंपनी की देयता की जांच की और कहा कि तीसरे पक्ष के जोखिम के मामले में, बीमाकर्ता को तीसरे पक्ष को मुआवजे की राशि की क्षतिपूर्ति करनी है और बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति से इसकी वसूली कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने बीमाकर्ता की संविदात्मक देयता के साथ-साथ तीसरे पक्ष के दावों के संबंध में वैधानिक दायित्व पर विचार किया और दिशानिर्देश जारी किए गए कि कैसे और किन परिस्थितियों में "वेतन और वसूली" का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। स्वर्ण सिंह (सुप्रा.) में निर्णय के पैरा 110 में उच्चतम न्यायालय ने उन बिंदुओं को विस्तृत रूप से संक्षेप में प्रस्तुत किया है, जिसमें "भुगतान और वसूली" के सिद्धांत के तहत बीमाकर्ता तीसरे पक्ष को मुआवजे की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है और बीमित व्यक्ति से इसकी वसूली कर सकता है। दावेदारों के अधिवक्ता के अनुसार, भले ही चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को दुर्घटना की तारीख पर प्रभावी और वैध नहीं माना जाता है, फिर भी वर्तमान मामला स्वर्ण सिंह (सुप्रा.) के निर्णय के पैरा 110 के बिंदुओं (iii), (vii), (ix) और (x) के दायरे में आता है।

8. स्वर्ण सिंह (सुप्रा.) के मामले में प्रतिपादित कानून के अनुपात का पालन उच्चतम न्यायालय द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण धूट [(2007)3 एससीसी 700] के मामले में किया गया था। बाद में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम परवतनेनी [(2009)8 एससीसी 785] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून के उपरोक्त सिद्धांत की शुद्धता पर संदेह किया गया और इस मुद्दे को बड़ी पीठ को भेज दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि बीमा कंपनी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए न्यायालय के आदेश से मुआवजा राशि का भुगतान करने और बाद में वाहन के मालिक से वसूलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। परवतनेनी (सुप्रा.) के मामले में किए गए उपर्युक्त संदर्भ का निपटारा 17-9-2013 को तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया गया है जिसमें कानून के प्रश्न को उचित मामले में निर्णय के लिए खुला रखा गया है। इस प्रकार, वर्तमान में, स्वर्ण सिंह (सुप्रा.) के मामले में निर्णय लक्ष्मी नारायण धुट (सुप्रा.) और अन्य मामलों में लिया गया है। इस प्रकार, वर्तमान में, स्वर्ण सिंह (सुप्रा.) के मामले में निर्णय लक्ष्मी नारायण धुट (सुप्रा.) और अन्य

मामलों में लिया गया है। कानून का यह सिद्धांत आगे भी स्वीकृत किया गया और शमन्ना बनाम संभागीय प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [(2018)9 एससीसी 650] के मामले में पालन किया गया।

9. उपरोक्त केस लॉ की चर्चा के बाद, विधिक स्थिति यह उभरती है कि आज तक स्वर्ण सिंह (सुप्रा.) के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत किसी भी बाद के निर्णय के विरुद्ध निर्णय नहीं दिया गया है और वह अभी भी निर्विवाद है। यद्यपि, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि चालक को जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस और 10-8-2011 से 19-11-2015 की अवधि के लिए नवीनीकरण, जिसे बाद में 28-12-2017 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से रद्द/अमान्य घोषित करने की सूचना दी गई थी, को दुर्घटना की तारीख अर्थात 3-7-2015 को अमान्य और अप्रभावी नहीं माना जाना चाहिए था, हालांकि, इस संबंध में ट्रिब्यूनल द्वारा पारित निष्कर्षों को चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए, यह न्यायालय ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। फिर भी, स्वर्ण सिंह के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांत का पालन करते हुए, यह देखा गया है कि बीमा कंपनी यह सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रही है कि चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने/रद्द करने की घोषणा कभी भी वाहन के मालिक के संज्ञान में लाई गई थी और यह सिद्ध नहीं होता है कि मालिक बीमा पॉलिसी की शर्तों को पूरा करने के लिए उचित देखभाल और सावधानी का पालन नहीं करने में लापरवाही का दोषी था। इसलिए, ट्रिब्यूनल ने "वेतन और वसूली" के सिद्धांत का पालन करने में कानून की कोई त्रुटि नहीं की है। स्वर्ण सिंह (सुप्रा.) के मामले में प्रतिपादित कानून का सिद्धांत वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू होता है। तदनुसार, पहले बिंदु को अस्वीकार कर दिया जाता है।

10. रूट परमिट और वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं होने के संबंध में बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा उठाया गया दूसरा बिंदु इस न्यायालय का ध्यान मुद्दा संख्या 3 के निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया है, जिसमें ट्रिब्यूनल ने पाया है कि संबंधित वाहन के पास प्रभावी रूट परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं था। अधिवक्ता ने कहा है कि संबंधित वाहन एक परिवहन वाहन है और दुर्घटना 3-7-2015 को हुई थी जब वाहन गांव फलसा, पुलिस स्टेशन चोपनकी जिला अलवर की परिधि में चल रहा था। यह तर्क दिया गया है कि मालिक को दावा याचिका के साथ-साथ इस अपील के नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ है और उसने वाहन का परमिट प्रस्तुत नहीं किया है। इस

न्यायालय ने यह भी पाया कि बीमित व्यक्ति (वाहन के मालिक) द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है कि उसके पास 3-7-2015 को वाहन का वैध परमिट था। प्रार्थना यह है कि पॉलिसी की शर्तों के इस उल्लंघन के लिए, बीमा कंपनी के लिए दावा याचिका अपास्त कर दी जाए।

11. 1988 के अधिनियम में, "मोटर वाहन" या "वाहन" शब्द को धारा 2 (28) के तहत परिभाषित किया गया है; धारा 2 (31) में "परमिट" शब्द और 1988 के अधिनियम की धारा 2 (47) में "परिवहन वाहन" को परिभाषित किया गया है। 1988 के अधिनियम की धारा 66 "परमिट" की आवश्यकता को निर्धारित करती है। इसकी उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि मोटर वाहन का कोई भी मालिक किसी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के रूप में वाहन के उपयोग की अनुमति नहीं देगा, चाहे वह वाहन वास्तव में क्षेत्रीय या राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी निर्धारित प्राधिकरण द्वारा दिए गए या प्रतिहस्ताक्षरित परमिट की शर्तों के अनुसार यात्रियों या माल को ले जा रहा हो। वाहन और ढोने वाले माल वाहन के उपयोग के लिए शर्तों को निर्धारित करने वाले मुख्य प्रावधानों में विभिन्न परंतुक जोड़े गए हैं। यहां यह ध्यान रखना उचित है कि 1988 के अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा 3 उप-धारा (1) के लिए कार्रवाई करती है। धारा 149 (2) (क) (i) एक वाहन से संबंधित है जो किराए या इनाम के लिए परमिट द्वारा कवर नहीं किया गया है। धारा 149 (2) बीमाकर्ता को दावा याचिकाओं को चुनौती देने के लिए वैधानिक बचाव प्रदान करती है। धारा 147 की उप-धारा 7 में प्रावधान है कि बीमाकर्ता जिसे उप-धारा 2 या 3 में संदर्भित नोटिस दिया गया है, वह किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ देने के दायित्व से बचने का पात्र होगा। उप-धारा 1 में निर्दिष्ट ऐसा कोई निर्णय और निर्णय या उप-धारा 3 में निर्दिष्ट ऐसा कोई निर्णय या निर्णय या निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है, जो उप-धारा 4 या किसी भी संबंधित कानून में प्रदान किए गए तरीके से अन्यथा पारित किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि यदि बीमित वाहन के पास वैध परमिट नहीं है, तो यह 1988 के अधिनियम की धारा 149 (2) के तहत उल्लिखित पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के अंतर्गत आता है।

12. बीमाधारक द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है कि उसके पास वाहन का वैध परमिट था और ट्रिब्यूनल ने बीमाकर्ता के पक्ष में निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि वैध रूट परमिट/परमिट के अभाव में बीमाधारक ने पॉलिसी की शर्तों का

उल्लंघन किया है और इस तरह बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए दोषमुक्त कर दिया गया है। फिर भी, ट्रिब्यूनल ने इस तथ्य पर विचार किया है कि विचाराधीन वाहन का बीमाकर्ता के साथ बीमा किया गया था और बीमा पॉलिसी 25-8-2014 से 24-8-2015 तक की अवधि के लिए वैध है (दुर्घटना 3-7-2015 को हुई थी)। अधिनियम के लाभकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, बीमाकर्ता को दावेदारों को बीमित व्यक्ति से राशि वसूलने का विकल्प और स्वतंत्रता देने के लिए पंचाट को संतुष्ट करने का निर्देश दिया गया था।

13. जहां तक बीमा कंपनी के विरुद्ध पहले दावेदारों को क्षतिपूत का भुगतान करने और फिर बीमित व्यक्ति/वाहन चालक से वसूली करने के इस निदेश का संबंध है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मुद्दे की राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम चल्ला भारतम्मा [(2004)8 एससीसी 517] में विस्तार से जांच की गई है।

14. मुद्दा यह है कि जब बीमा कंपनी वाहन का वैध परमिट नहीं होने के कारण मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त होने की पात्र है, तो क्या उसे पहले दावेदारों को मुआवजे की क्षतिपूर्ति करने और फिर बीमाधारक से वसूली करने का निर्देश दिया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 1988 के अधिनियम की धारा 66 के मद्देनजर बिना परमिट के वाहन चलाना एक उल्लंघन है और यह बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। इस तरह के उल्लंघन के लिए, 1988 के अधिनियम की धारा 149 (2) के अनुसार बीमाकर्ता के लिए बचाव उपलब्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बीमा कंपनी द्वारा पहले क्षतिपूत का भुगतान करने की अनुमति देते हुए और बीमा कंपनी को वाहन के मालिक/चालक से इसकी वसूली करने की स्वतंत्रता/अधिकार देते हुए निम्नानुसार राय व्यक्त की है -

> *पीठ ने कहा, ' निरुत्तर प्रश्न यह है कि उचित दिशा क्या होगी। अधिनियम के लाभकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, बीमाकर्ता के लिए पंचाट को संतुष्ट करना उचित होगा, हालांकि कानून में इसका कोई दायित्व नहीं है। कुछ मामलों में बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति से राशि वसूलने का विकल्प और स्वतंत्रता दी गई है। मालिक से भुगतान की गई राशि की वसूली के उद्देश्य से, बीमाकर्ता को मुकदमा दायर करने की*

आवश्यकता नहीं होगी। यह संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू कर सकता है जैसे कि बीमाकर्ता और मालिक के बीच विवाद ट्रिब्यूनल के समक्ष निर्धारण का विषय था और इस मुद्दे का निर्णय मालिक के विरूद्ध और बीमाकर्ता के पक्ष में किया जाता है। दावाकर्ताओं को राशि जारी करने से पहले, उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक को पूरी राशि के लिए सुरक्षा प्रस्तुत करनी होगी जो बीमाकर्ता दावाकर्ताओं को भुगतान करेगा। उल्लंघन करने वाले वाहन को सुरक्षा के एक भाग के रूप में संलग्न किया जाएगा। यदि आवश्यकता होती है तो निष्पादन न्यायालय संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की सहायता लेगा। निष्पादन न्यायालय कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा कि वाहन का मालिक बीमाकर्ता को किस तरह से भुगतान करेगा। यदि कोई चूक होती है, तो निष्पादन न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियों के निपटान द्वारा या वाहन के मालिक अर्थात बीमित व्यक्ति की किसी अन्य संपत्ति या संपत्ति से वसूली का निर्देश दे। इस मामले में इसमें शामिल मात्रा को देखते हुए हम यह बीमाकर्ता के विवेक पर छोड़ते हैं कि वह बीमित व्यक्ति से राशि की वसूली के लिए कदम उठाएगा या नहीं।

15. चल्ला भरतम्मा (सुप्रा.) के मामले में निर्णय का पालन अमृत पॉल सिंह बनाम टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी [(2018)7 एससीसी 558] के मामले में किया गया है।

16. वर्तमान मामले में बीमा पॉलिसी 25-8-2014 से 24-8-2015 तक की अवधि के लिए परिचालन में थी और दुर्घटना 3-7-2015 को हुई थी। इस प्रकार ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को उन दावेदारों को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है जो पॉलिसी के तहत कवर किए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बीमा कंपनी दावेदारों को देय मुआवजे की राशि जमा करेगी और फिर वाहन के मालिक और चालक से मुआवजे की राशि वसूलने की पात्र होगी। यह न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि जहां तक वाहन के मालिक/चालक के विरूद्ध बीमा कंपनी को दिए गए ऐसे वसूली अधिकारों का संबंध है, इसे चल्ला भरतम्मा (सुप्रा.) के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांतों के संदर्भ

में माना जाएगा। इस प्रकार, बीमाकर्ता को वाहन के मालिक और चालक से राशि वसूलने के अपने अधिकार को प्रमाणित करने के लिए एक अलग मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है और सीधे संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू कर सकता है, क्योंकि बीमाकर्ता और वाहन के मालिक/चालक के बीच विवाद ट्रिब्यूनल के समक्ष निर्धारण का विषय था और इस मुद्दे को बीमाकर्ता के पक्ष में मालिक और चालक के विरूद्ध तय किया गया है। इस प्रकार दूसरे बिंदु पर भी वाहन का वैध परमिट न होने के कारण दावेदारों के विरूद्ध दावा याचिका को पूरी तरह से अपास्त करने के लिए बीमा कंपनी की प्रार्थना स्वीकार्य नहीं है और इसे अस्वीकार कर दिया जाता है।

17. जहां तक मुआवजे की मात्रा का संबंध है, अधिकरण ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने और संबंधित नियमों और कानून के उचित अनुप्रयोग के बाद मुआवजे का आकलन किया है। ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया मुआवजा उचित और उपयुक्त है। बीमा कंपनी इस संबंध में किसी भी अवैधता या विकृति को इंगित करने में विफल रही है। इस प्रकार, बीमा कंपनी द्वारा उठाए गए तीसरे बिंदु में कोई बल नहीं है।

18. उपर्युक्त चर्चा का परिणाम यह है कि बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील विफल हो जाती है और अपास्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, अपास्त की जाती है।

19. चूंकि, इस न्यायालय ने बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील में कोई दम नहीं पाया है और इसे अपास्त कर दिया है, इसलिए, दावेदारों के अधिवक्ता मुआवजे में वृद्धि के लिए दावेदारों की अपील पर जोर नहीं देते हैं। तदनुसार, दावेदारों द्वारा दायर अपील को अपास्त कर दिया जाता है।

20. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि बीमा कंपनी ने 12-4-2019 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में ट्रिब्यूनल के समक्ष पूरी मुआवजा राशि जमा कर दी है, जिसमें से 5-8-2021 के आदेश के अनुसार दावाकर्ताओं को मुआवजे की 50% राशि वितरित की गई है और इसलिए, इस तरह जमा की गई शेष राशि भी पंचाट के संदर्भ में दावेदारों को वितरित की जाए।

21. स्थगन आवेदन, स्थगन आदेश की छुट्टियों के लिए आवेदन और अन्य आवेदन, यदि लंबित हैं, तो भी तदनुसार निपटाए जाते हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

22. मामले का रिकॉर्ड तुरंत वापस भेजा जाए।

(सुदेश बंसल), न्यायमूर्ति

Arn/81

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।